

राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ-20(504)एनएचएम/एचआरडी/आरबीएसके/2018/2259

दिनांक: 16/11/18

-: आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मे आयुष चिकित्सक के पदों को भरने हेतु जारी एनएचएम विज्ञापित क्रमांक 237 दिनांक 08.03.2018 के क्रम में विज्ञापित आयुष चिकित्सक आरबीएसके - पुरुष (आयु0/होम्यो0/यूनानी) के संविदा पदों पर प्रतीक्षा सूची में से मेरिटवाईज-कैटेगरीवाईज चयनित अभ्यर्थियों को पूर्णतया संविदा आधार पर राशि रूपये 22180/- प्रति माह के समेकित पारिश्रमिक पर पदस्थापित किया जाता है।

S.No	Roll No	Candidate Name	Posting Block	Posting District
1	A(A)0422	KESHU RAM NINAMA	Pipalkhunt	Pratapgarh
2	A(A)0020	AJAY SINGH CHOWHAN	Dug	Jhalawar
3	A(U)0083	MOHAMMED ATA UR RAB	Nadbai	Bharatpur
4	A(H)0702	PIYUSH JAIN	Gangrar	Chittorgarh
5	A(U)0076	MOHAMMAD EASAR NOORANI	Sindhari	Barmer
6	A(A)0476	LOKENDRA PAHADIYA	Seawar	Bharatpur
7	A(A)0517	MANGAL CHAND CHOUDHARY	Bhopalsagar	Chittorgarh
8	A(U)0090	MOHAMMED SABIR KHAN	Aburoad	Sirohi
9	A(U)0017	ANKIT BASWAL	Shivganj	Sirohi
10	A(A)0216	DHARMPAL KHOWAL	Shri Ganganagar	Shri Ganganagar
11	A(U)0106	MOHD SHAHALAM SAIFI	Dhorimana	Barmer
12	A(U)0003	ABDUL RAHMAN	Chohatan	Barmer
13	A(A)1071	SHAIKH AABID	Raipur	Bhilwara
14	A(U)0082	MOHAMMED ASIF	Dhariyawad	Pratapgarh
15	A(U)0085	MOHAMMED IMRAN	Reodar	Sirohi

131

नव नियुक्त संविदा आयुष चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 28.11.2018 तक आवश्यक रूप से अपने आवंटित पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अपनी उपस्थिति देते हुये संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

नव नियुक्त संविदा आयुष चिकित्सकों अपने आवंटित पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, इसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम (संकलित) से दिनांक 29.11.2018 को सायं 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से ई-मेल आई.डी. [co.hrd.nhm@gmail.com](mailto:co.hrd.nhm@gmail.com) पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई आयुष चिकित्सक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर ज्वाइन नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाकर संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

नव नियुक्त संविदा आयुष चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार), चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं रु 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर (Blank) के साथ उपस्थिति प्रदान कर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे।


उक्त संविदा आयुष चिकित्सकों को प्रथमतः तीन माह (प्रोबेशन अवधि) के लिये लिया जावेगा। नव नियुक्त संविदा कार्मिक की सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि को आगामी दिनांक 31.03.2019 तक के लिये तक के लिये बढ़ाया जायेगा। अनुबंधित संविदा कार्मिको को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होंगे। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ट प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

इस सम्बन्ध में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नव नियुक्त संविदा आयुष चिकित्सकों के मूल दस्तावेजों (विज्ञप्ति में उल्लेखित अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, जाति प्रमाण पत्र, राजस्थान राज्य के सम्बन्धित चिकित्सा बोर्ड से पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों) की जाँच कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की एक-एक स्वप्रमाणित प्रति रिकार्ड में रखते हुये नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। कार्यग्रहण उपरान्त कार्मिक को उनके संबंधित पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त कर अविलम्ब भिजवाए।



उक्त अभ्यर्थियों का पदस्थापन उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जांच के अध्याधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज मिथ्या/गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदत्त अनापत्ति No.437/RJ-LA/2018/NS-I Dated 2<sup>nd</sup> November, 2018 के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।

  
(नवीन जैन)  
शासन सचिव


चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं  
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक: एफ-20(504)एनएचएम/एचआरडी/आरबीएसके/2018/2259

दिनांक: 16/11/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. अति० मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक- आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
6. निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
8. परियोजना निदेशक, आरबीएसके, एनएचएम, जयपुर।
9. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
10. सलाहकार, आरबीएसके, एनएचएम, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन, राजस्थान।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिलें।
13. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिलें।
14. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, समस्त जिले, राजस्थान।
15. अति० जिला नोडल अधिकारी आरबीएसके समस्त जिलें, राजस्थान।
16. संबंधित चयनित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं कार्यग्रहण करने हेतु पालनार्थ।
17. प्रभारी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

  
परियोजना निदेशक,  
एनएचएम